CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

(STATUTORY RULES AND ORDER)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State/Union territory) from **02** Ganganagar Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:-

RAJ KUMAR GAUR

50-Vrindavan Vihar, Sri Ganganagar

INDEPENDENT

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Sri Ganganagar

Date: 11.12.2018

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 कानूनी नियम और आदेश

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। 02—गंगानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि :--

राजकुमार गौड़

50 वृंदावन विहार श्रीगंगानगर

निर्दलीय

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उक्त संदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान : श्रीगंगानगर

दिनांक : 11.12.2018

()()() रिट्**रिंग्-अधि**कारी वधातसभा जिर्वाचन क्षेत्र **02**- गेगीनगर

02-गंगानगर